**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1463**

**24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**सेना के जवानों की भर्ती**

**1463. श्री श्वेत मलिकः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार झारखंड सहित ऐसे राज्यों में सेना के जवानों की भर्ती को प्राथमिकता देने पर विचार करेगी, जिसमें बेरोजगारी की दर अधिक है और नौजवान बेरोजगारी के कारण पलायन करते हैं और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सुभाष भामरे)**

सेना में भर्ती के लिए किसी विशेष राज्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सेना में भर्ती प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार नियमित आधार पर की जाती है जो एक वर्ष में 01 अप्रैल से शुरु हो कर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलती है। देश के प्रत्येक जिले को वर्ष में कम से कम एक बार भर्ती के लिए शामिल किया जाता है। सेना में जाने की आकांक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है जिसके बाद उन्हें विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर नामित भर्ती स्थानों पर स्क्रींनिग के लिए बुलाया जाता है। वर्ग/ जाति/ समुदाय/ धर्म से परे प्रत्येक अभ्यर्थी को भर्ती में समान अवसर दिया जाता है।

\*\*\*\*\*